मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांकः 28 जनवरी 2006

क्रमांक. 301/म.प्र.वि.नि.आ/2006. विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 43 (1) सहपठित धारा 181(टी), धारा 44, धारा 46 सहपठित धारा 181 (डब्लू), धारा 47 (2,3एवं 5), धारा 48 (बी), धारा 50 सहपठित धारा 181 (2एक्स) एवं धारा 56 तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अनिनियम 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001) की धारा 9 (जे) के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा क्रमांक 861– विनिआ–04 दिनांक 27 मार्च, 2004 द्वारा अधिसूचित मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में निम्न परिवर्धन करता है ।

मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004, में पंचम संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(i) यह संहिता **''मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (पंचम संशोधन) (एजी–1(v), वर्ष 2006)''** कही जावेगी।

(ii) यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी।

(iii) इस संहिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य होगा।

2. विनियम 2 में संशोधनः

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004, जिसे इसके बाद प्रधान संहिता कहा जावेगा **के उप–अनुछेद 2.1 (घ) के अन्त में** निम्न परिभाषा अर्न्तस्थापित की जावे, अर्थातः

''2.1(घ)(i) **''प्राधिकृत भार''** निम्नदाब उपभोक्ताओं की घरेलू श्रेणी हेतु, (जिसे कि 0.5 किलोवाट के गुणाकों में अभिव्यक्त किया जावेगा), प्रयुक्त किये जाने वाला शब्द है, एवं जो कि 75 यूनिट प्रति आधा किलोवाट प्रति माह पर आधारित होगा।

3. विनियम 7 में संशोधनः

(i) प्रघान संहिता में **अनुच्छेद 7.1 से पूर्व** शीर्षक ''निम्नदाब उपभोक्ता जिनकी दरें उच्चतम मांग आधारित टू–पार्ट टैरिफ के अलावा हो।'' को निम्न शीर्षक द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थातः

''निम्नदाब, उपभोक्ता (जिनकी दरें उच्चतम मांग आधारित (द्वि–भाग) टैरिफ के अलावा हो)

(ii) प्रधान संहिता में **अनुच्छेद 7.1 में** निम्नानुसार पैरा प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थातः

''7.1 ऐसे निम्नदाब उपभोक्ताओं जिनकी दरें उच्चतम मांग आधारित (द्वि–भाग) टैरिफ के अलावा हों, की संविदा मांग, परिसर के कुल संयोजित भार के अनुरूप होगी, जो कि उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी के मध्य किये गये, घरेलू उपभोक्ताओं को छोडकर, अनुबंधानुसार होगी।

घरेलू उपभोक्ताओं के प्रकरण में भार को ''प्राधिकृत भार'' के रूप में अभिव्यक्त किया जावेगा तथा अनुबंध को तदनुसार निष्पादित किया जावेगा । प्राधिकृत भार 0.5 किलोवॉट (500 वॉट) के गुणांकों में होगा तथा प्रारंभिक रूप में इसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत किया जावेगा। घरेलू संयोजनों हेतु न्यूनतम प्राधिकृत भार 0.5 किलोवॉट होगा।एक किलोवॉट के प्राधिकृत भार को 150 यूनिट खपत के समान तथा आधा किलोवॉट को 75 यूनिट अथवा उसके भाग के समान माना जावेगा।

उपरोक्त व्यवस्था के द्वारा उन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी जो कि अनुज्ञप्तिधारी के कर्मियों द्वारा संयोजित भार के सत्यापन हेतु बारंबार निरीक्षण किये जाने संबंधी प्रक्रिया को परेशान करने वाला पाते हों। इससे अनुज्ञप्तिधारी को प्रणाली हेतु भार को प्राक्कलित किये जाने में तथा विद्युत प्रोक्यूरमेंट योजना का आधार तैयार करने में सुविधा होगी। उपरोक्त व्यवस्था से एक अतिरिक्त लाभ यह भी होगा कि अनुज्ञप्तिधारी एकल फेज संयोजन के स्थान पर तीन–फेज कनेक्शन प्रदान किये जाने की आवश्कता प्रतिपादित किये जाने के संबंध में सुनिश्चित हो सकेगा जबकि खपत का रूझान विनिर्दिष्ट सीमा के उच्चतर प्राधिकृत भार दर्शाये। अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि एक उपयुक्त विशिष्ट विवरण का तीन–फेज मीटर ऐसे समस्त उपभोक्ता परिसरों में प्रदान किया जावे जहां प्राधिकृत भार इस हेतु अर्हता रखता हो । तथापि उपभोक्ता को एक तीन–फेज संयोजन की मांग करने का अधिकार होगा यदि उसकी खपत तीन–फेज संयोजन की अर्हता न भी रखती हो।

एक अधिक प्राधिकृत भार वाला उपभोक्ता प्राधिकृत भार में कमी किये जाने बाबत अनुरोध भी कर सकेगा यदि वह यह दर्शाये जाने में सफल रहे कि पिछले छः माह में उसकी खपत की न्यूनतम सीमा न्यायोचित है । अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर आवेदन पर निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा।

विद्यमान संयोजनों के संबंध में, जिनकी खपत स्वीकृत भार से अधिक है, अनुज्ञप्तिधारी को खपत अभिलेखों को सत्यापित करना होगा तथा वह इस संबंध में प्राधिकृत भार को पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में उपयुक्त कार्यवाही द्वारा उपयुक्त संयोजन एवं मीटर उपलब्ध करायेगा।

तथापि अधिनियम की अर्हता के अनुसार समस्त संयोजनों को मीटरीकृत किया जाना अनिवार्य है, फिर भी कुछ बिना मीटरयुक्त संयोजन भी विद्यमान हैं तथा अनुज्ञप्तिधारी को इन पर मीटर स्थापित किये जाने हेतु कुछ समय प्रदान किया गया है। उक्त समय तक, इन बिना मीटर युक्त संयोजनों (घरेलू) को एक किलोवाट प्राधिकृत भार युक्त माना जावेगा तथा तदनुसार इनकी बिलिंग कर देयक प्रसारित किये जावेंगें।''

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा , उपसचिव